न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/14/2021	2021/293	08.10.2011	26.11.2021

01–श्रीमती मंजूलता शर्मा पत्नी स्व0श्री पूरण चंद शर्मा निवासी ग्राम राजपुरा सिक्ख पोस्ट चांदपुरी तहसील थानागाजी जिला अलवर।

–निगरानीकर्ता

बनाम

01–ग्राम पंचायत चांदपुरी पंचायत समिति थानागाजी जरिये सरपंच ।
02– मुरारीलाल शर्मा पुत्र मामराज शर्मा निवासी ग्राम राजपुरा सिक्ख पोस्ट चांदपुरी तहसील थानागाजी जिला अलवर।

–अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत चांदपुरी पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर दिनांक 24.02.1999 एवं निरस्त किये जाने आदेश व पट्टा संख्या–001 ग्राम पंचायत चांदपुरी।

उपस्थितः–
01–श्री रविन्द्र कुमार सैनी
02–मुकेश कुमार

–वकील निगरानीकर्ता
– अनिगरानीकार

–:निर्णयः–

वकील निगरानीकार ने ग्राम पंचायत चांदपुरी पंचायत समिति थानागाजी के आदेश दिनांक 24.02.1999 पट्टा संख्या 001 बुक संख्या 157 संकल्प संख्या–4 के विरूद्ध निगरानी पेश की। निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आलौच्य आज्ञा व पट्टे में दर्ज जायदाद में निगरानीकार के पति पूरण चंद का 1/2 भाग निस्फ हिस्सा है तथा निगरानीकार पूरण चंद की पत्नी तथा विधिक उत्तराधिकारी है। निगरानीकार अपने पति के हिस्से की जायदाद पर काबिज है व उपयोग उपभोग कर रही है। इस प्रकार विवादित जायदाद में निगरानीकार का हित निहित है। आलौच्य आज्ञा व पट्टा जारी होने से निगरानीकार के हक हकूक दुष्प्रभावित होते है। आलौच्य आज्ञा में वर्णित जायदाद मकान अनिगरानीकार संख्या–02 की अकेले की निजी मिल्कियत मालिकाना कब्जा व अधिकार की नहीं है, बल्कि वर्णित जायदाद अनिगरानीकार संख्या–02 व मिन निगरानीकार के पति पूरण चंद के आधिपत्य व अधिकार साझे की है। आलौच्य आज्ञा में वर्णित जायदाद सालिम से अनिगरानीकार संख्या–02 गैर काबिज व गैर वास्ता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जिससे उसे वर्णित जायदाद मकान सालिम का पट्टा अपने हक में जारी कराने का कोई नैतिक एवं विधिक अधिकार नहीं था। अनिगरानीकार संख्या–01 से साजबाज होकर उक्त पट्टा अपने नाम जारी करा लिया। इसलिये आलौच्य आज्ञा अवैधानिक व क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त योग्य है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 को इकजाई कर तथा 73 वे संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उसे राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति 23 अप्रेल 1994 को प्राप्त कर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया था। उक्त अधिनियम लागू हो जाने के उपरांत पूर्व में प्रचलित धाराओं/नियमों के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य औचित्य विहीन है। इसलिये आलौच्य आज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 वो राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 145 से नियम 167 तक की पालना नहीं की गई है। उक्त नियमों की पालना न कर साझे की परिसम्पत्ति का पट्टा अनिगरानीकार संख्या–02 को जारी व प्रदत्त किया गया है। इस आधार पर उक्त पट्टा अवैध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा रसीद संख्या 24 दिनांक 24.02.1999 के जरिये अनिगरानीकार संख्या–02 से 200/–रूपये वसूल किये गये। उक्त रसीद संख्या 24 से प्राप्त राशि की प्रविष्टि कैश बुक पन्ना संख्या–24 पर आय पक्ष में की जानी चाहिये थी, जिसकी प्रविष्टि उक्त दिनांक 24.02.1999 को न होकर कैश बुक पन्ना संख्या–29 दिनांक 31.03.1999 को की गई। आलौच्य पट्टा संख्या 01 दिनांक 24.02.1999 की प्रतिपर्ण प्रति पर तत्कालीन सरपंच रामेश्वर दयाल शर्मा व सचिव दीनदयाल शर्मा के हस्ताक्षरों का अभाव है। इस आधार पर उक्त पट्टा विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है तथा निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, जारीकर्ता सरपंच को सम्पूर्ण तथ्यों का परीक्षण कर पटटा जारी करना चाहिये था, जो कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राज0पंचायती राज नियम 1996 में वर्णित प्रावधानों से हटकर दस्तावेज गठित हुआ है। उक्त पट्टा के सम्बन्ध में तत्कालीन सरपंच द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एंव राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा अनिगरानीकार संख्या–02 को जारी उक्त पट्टा अवैध है जो कि निरस्तनीय है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आलौच्य आज्ञा ग्राम पंचायत चांदपुरी पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर राज0 दिनांक 24.02.1999 को अपास्त तथा पट्टा संख्या 01 बुक संख्या 157 संकल्प संख्या–04 जो कि अनिगरानीकार संख्या–01 द्वारा अनिगरानीकार संख्या–02 के हक में जारी किया गया है, को खारिज फरमाया जावे।

निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र दफा 05 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत चांदपुरी पंचायत समिति थानागाजी द्वारा पारित कब्जा दिनांक 24.02.1999 पट्टा संख्या 01 बुक संख्या 157 संकल्प संख्या–4 की पूर्व में मिन निगरानीकार को जानकारी नहीं थी। उक्त आज्ञा मिन निगरानीकार की गैर जानकारी एवं गैर मौजूदगी में पारित की गई है। इसलिये कोई जानकारी नहीं हो सकी और निगरानी अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में पेश नहीं की जा सकी, जिसमें निगरानीकार की कोई बदयान्ति नहीं है। सर्वप्रथम जानकारी से निगरानी प्रस्तुत दिनांक 07.09.2021 के समय को मुजरा किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जाकर उक्त समय पर नरम रूख अपनाया जाकर आज्ञा दिनांक 24.02.1999 सर्वप्रथम जानकारी से दिनांक 07.09.2021 व उसके बाद आज तक का समय मियाद में मुजरा फरमाया जावे। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्ष तलब किये गये।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया । हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 पर नरम रूख अपनाते हुए आलौच्य आदेश दिनांक 24.02.1999 से निगरानी प्रस्तुत करने की अवधि के समय को कन्डोन (मुजरा)किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील निगरानीकार ने निगरानी में यह तथ्य अंकित किया है कि आलौच्य आज्ञा में वर्णित जायदाद अप्रार्थी मुरारीलाल पुत्र मामराज अकेले की मिलकियत मालिकाना वो कब्जे अधिकार की नहीं है। वर्णित जायदाद मकान अप्रार्थी मुरारीलाल व श्रीमती मंजूलता पत्नी पूरण चंद शर्मा निवासी राजपुरा सिक्ख पोस्ट चांदपुरी तहसील थानागाजी के अधिपत्य व अधिकार साझे की जायदाद है। विकास अधिकारी पंचायत समिति थानागाजी की जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.12.2018 में विकास अधिकारी ने अंकित किया है कि ग्राम राजपुरा सिक्ख में मुरारीलाल शर्मा एंव श्रीमती मंजूलता शर्मा के साझे के मकान है उक्त मकान का पट्टा नियम 266 राजस्थान पंचायत एंव न्याय उप समिति नियम 1761 अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा दिनांक 24.02.1999 को श्री मुरारीलाल शर्मा पुत्र मामराज शर्मा के पक्ष में जारी किया है, को इस आधार पर निरस्त कराया जाना अंकित किया है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 को इकजाई कर तथा 73 वें संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उसे राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल महोदय की अनुमति 23 अप्रेल 1994 को प्राप्त कर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया था। उक्त अधिनियम लागू हो जाने के उपरान्त पूर्व में प्रचलित धाराओं/नियमों के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य औचित्य विहिन है। ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से नियम 167 तक की पालना नहीं की गई। उक्त नियमों की पालना न कर साझे की परिसम्पति का पट्टा मुरारीलाल शर्मा पुत्र मामराज शर्मा को प्रदत्त किया गया इस आधार पर उक्त पट्टा अवैध ठहराया जाकर निरस्त कराने योग्य है। विकास अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया है कि प्रस्तुत पट्टे के संदर्भ में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई भी बयान लिपिबद्ध नहीं कराया गया। उक्त पट्टा जारी करते समय तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत चांदपुरी द्वारा श्री मुरारीलाल पुत्र मामराज शर्मा निवासी राजपुरा सिक्ख को जारी पट्टा अवैध होकर निरस्त कराये जाने की अभिशंसा की है।

वक़ील निगरानीकार की दलीलों एंव विकास अधिकारी पंचायत समिति थानागाजी के जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.12.2018 के आधार पर निगरानी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। तहत पारित आज्ञा दिनांक 24.02.1999 पट्टा संख्या 001 बुक संख्या 157 संकल्प संख्या–04 ग्राम पंचायत चांदपुरी पंचायत समिति थानागाजी निरस्त किया जाकर प्रकरण विकास अधिकारी पंचायत समिति थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य एंव सुनवाई के समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति थानागाजी को तहत रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अनुसार पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल के कम होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रथम) अलवर